पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

(20)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

फोन नं. 0755-2674200, फेक्स नं. 0755-2634334

क्रमांक / सं.व.प्र. / व.वि.अ. / 1436 भोपाल, दिनांक 28-12.2013

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
समस्त मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)
मध्यप्रदेश.

विषय :वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में किये जा रहे निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले गौड़ खनिजों पर रायल्टी के संबंध में।

सन्दर्भः म.प्र. शासन, वन विभाग का पत्र कमांक /2191/2474/2013/10-3 भोपाल दिनांक 23.10.2013

वन विभाग द्वारा सभी वनमण्डलों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराये जाते हैं। निर्माण कार्यो में उपयोग की जा रही अनेक सामग्रियां जैसे– मुरम, रेत, बोल्डर, फर्शी पत्थर इत्यादि का कय ठेकेदारों से किया जाता है, परन्तु ठेकेदारों को भुगतान करते समय वनमण्डलाधिकारियों द्वारा यह नहीं देखा जाता कि ठेकेदारों द्वारा कय की गई इन सामग्रियों की रायल्टी का भुगतान राज्य शासन को किया गया है अथवा नहीं। यह स्थिति आपत्तिजनक है।

उपरोक्त सभी सामग्रियां गौण खनिज की श्रेणी में आती हैं । म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 के उपनियम (1) में दिनांक 23 मार्च 2013 को किये गये संशोधन में निम्नानुसार उपबंध हैः–

"परन्तु यह भी कि उत्खनन अनुज्ञाधारी/ठेकेदार जो निर्माण कार्य में लगे हों, निर्माण कार्य में उपयोग में लाये गये खनिज अनुज्ञा क्षेत्र से निकाले गये खनिज अथवा खुले बाजार से क्रय किये जाकर उपयोग में लाये गये खनिज के लिये रॉयल्टी के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये नो माइनिंग ड्यूज अभिप्राप्त करेंगे। नो माइनिंग ड्यूज प्रमाण-पत्र, खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, खनन शाखा द्वारा निर्माण कार्य में लगे हुए ठेकेदार/उत्खनन अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात जारी किया जायेगा।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में यह निर्देशित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किये जाने वाले ऐसी गौण खनिज का कतई भी विभाग स्वयं संग्रहण वनक्षेत्र से नहीं करेगा। गौण खनिज का क्रय केवल उत्खनि पट्टाधारक (लीजधारक) अथवा ठेकेदार (सप्लायर) से ही क्रय किया जावे। ऐसी क्रय की स्थिति में खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी किये गये रॉयल्टी पारपत्र (अभिवहन पास) लिया जाना भी सुनिश्चित किया जावे ताकि क्रय किये गये गौण खनिज की मात्रा के आधार पर शासन को देय होने वाली रॉयल्टी के भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी स्थिति में बिना रॉयल्टी भुगतान के गौण खनिज का क्रय लीजधारक अथवा ठेकेदार (सप्लायर) से न किया जाये।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0, भोपाल

क्रमांक 701
दिनांक 20/01

पृ.क्रमांक/सं.व.प्र./व.वि.अ./ 1437 भोपाल, दिनांक 28-12.2013

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार) म0प्र0 भोपाल।
4. सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. समस्त वनमण्डलाधिकारी मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0, भोपाल